# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 01/2022** **दायर दिनांकः 03/01/2022**

**उनवान**

1. दिशा आयु 33 वर्ष पुत्री विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादिया**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

**आदेश** दिनाक : 16/02/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा तह० अटरू जिला बारां में खाता संख्या 22 की ख0नं0 292/807 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 46 रकबा 1.63 है0, ख0नं0 47 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.11 है0 आराजी वादिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन जमाबन्दी साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादिया का घर पर बोलता नाम रितु होने के कारण वादिया का नाम दिशा के स्थान पर रितु गलत दर्ज कर दिया। जबकि वादिया के आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में सही नाम दिशा दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादिया का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा वादिया की आयु 33 वर्ष है जो बालिग हो चुकी है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। ग्राम एवं माल हनुवतखेडा की खाता संख्या 182 में भी वादिया का नाम दिशा के स्थान पर रितु गलत दर्ज हो रहा था जो माननीय न्यायालय से दिशा सही दर्ज हो गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम सही दर्ज नहीं

किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा वादिया की आयु 33 वर्ष है जो बालिग हो चुकी है। इसलिए उक्त आराजी में वादिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। वाद कारण दिनांक 10.11.2021 को उक्त आराजी में वादिया का नाम दिशा के स्थान पर रितु दर्ज हो की पटवारी हल्का से मालूम होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। श्रीमान के आदेश के बावजूद तहसीलदार अटरू द्वारा एक खाते में सही किया गया और दूसरे खाते में सही नही किया गया। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा वादिया बालिग हो चुकी है इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई, अभिभाषक वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा वादिया बालिग हो चुकी है इसलिए उक्त वर्णित आराजी में वादिया को नाबालिग से बालिग दर्ज किया

जावे। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2021 अनुसार वादिया का नाम, रितु के स्थान पर सही नाम दिशा व नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावें

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073—2076 ग्राम हनुवतखेडा की खाता संख्या 22 की कुल किता 4 रकबा 3.11 है0 में सहखातेदार के रूप में वादिया का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार दर्ज है। इस न्यायालय के प्र0सं0 48/2020 में माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान की अंक तालिका तथा आधार कार्ड के आधार निर्णय दिनांक 18.08.2021 को रितु पुत्री विजय कुमार के स्थान पर दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार दर्ज किये जाने के आदेश किये गये थे।

अतः इस न्यायालय के प्र0सं0 48/2020 के निर्णय के अनुसार न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

**—::क्रियात्मक आदेश::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 22 की ख0नं0 292/807 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 46 रकबा 1.63 है0, ख0नं0 47 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.11 है0 में सहखातेदार वादिया का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार के स्थान पर दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 01/2022**

**उनवान**

1. दिशा आयु 33 वर्ष पुत्री विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादिया**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट</u>**

**उपस्थिति :-**

वादीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः- विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ..........................................................................X.................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 22 की ख0नं0 292/807 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 46 रकबा 1.63 है0, ख0नं0 47 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.11 है0 में सहखातेदार वादिया का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार के स्थान पर दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X...................... मुबालिक .................X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.02.2022 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**